न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 7/2010 (उदयपुर आर्डर)

1. बसन्तीलाल पिता भंवरलाल जी जैन, निवासी कविता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. सत्यनारायण पिता लक्ष्मीलाल जी ब्राहमण, नि० कविता, तह० गिर्वा, जिला उदयपुर
3. डालूसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, निवासी कविता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. रोडीलाल पिता चोखा जी गमेती, निवासी कविता, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) मुख्यालय, उदयपुर मु.नं.( )राज./वि./अभि./2006/216–20 दिनांक 13.02.2006

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस): 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णय **दिनांक 30–01–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) मुख्यालय, उदयपुर ने अपने आदेश क्रमांक 216–20 दिनांक 13–02–2006 से राजस्व ग्राम कविता की बिलानाम आराजी नंबर 1118 मी. रकबा 3.4700 हैक्टर में से 2.4700 हैक्टर सरकारी भवनों हेतु आरक्षित घोषित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–02–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपील द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा [illegible] किया कि कथित आदेश की जानकारी अपीलान्टगण को प्रथम बार दिनांक 27–01–2010 को तब हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:29 IST
Reason: SelfAttested

जब लोगों ने आकर पंचायत में बताया कि यह जमीन सरकारी भवनों के लिए आरक्षित हो चुकी है। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थन पत्र पर बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13–02–2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15–02–2010 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस अर्थात दिनांक 13–04–2006 तक यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी, किन्तु अपील दिनांक 15–02–2010 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 3 वर्ष 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं, न ही पर्याप्त कारण है। ऐसी स्थिति में डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 697 एवं डी. एन.जे. 2020 (3) पेज 773 में प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसार उक्त अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया है एवं धारा 92 के तहत ऐसे आदेश केवल कलक्टर द्वारा ही दिये जा सकते हैं, सहायक कलक्टर को इस प्रकार का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है एवं इस प्रकार का आदेश एबइनिश्योवोइड होकर बिना अधिकार के होने से निरस्त योग्य है। भूमि आरक्षित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया है। उक्त भूमि किसी भी सूरत में सरकारी भवनों हेतु आरक्षित नहीं की जा सकती है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये उक्त आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अधिवक्ता राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण का उक्त आराजी से किस प्रकार का एवं क्या संबंध है, यह उनके द्वारा नहीं बताया गया है तथा अपील भी करीब 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई उचित कारण अपीलान्टगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:29 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली के अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्टगण का विवादित आराजियात से क्या संबंध हैं तथा वह अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से किस प्रकार प्रभावित हैं, यह उनके द्वारा किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही अपीलान्ट का यह कथन कि अधिनस्थ न्यायालय को इस प्रकार का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था, किन्तु सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) मुख्यालय, उदयपुर का यह आदेश राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा विशेष राजस्व अभियान के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर जारी किया गया है, जिसके द्वारा बिलानाम विवादित आराजी को सरकारी भवनों हेतु आरक्षित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13–02–2006 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:29 IST
Reason: SelfAttested